BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 179 OF 2025

IN THE MATTER OF:

SHYAMLATA ………APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS …. RESPONDENT(S)

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	BRIEF REPLY BY DISTRICT MAGISTRATE, VARANASI, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 26.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL	
2.	COPY OF LETTER DATED 14.02.2026 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	
3.	COPY OF NOTIFICATION DATED 07.06.2016 IS ANNEXED HEREWITH AND MARKED AS ANNEXURE-2	

THROUGH COUNSEL

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE STATE OF U.P.
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com
PHONE NO.-7838248353

Date: 15.02.2026

Place: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 179 OF 2025

<u>IN THE MATTER OF:</u>

SHYAMLATA ......APPLICANT

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS .... RESPONDENT(S)

<u>BRIEF REPLY BY DISTRICT MAGISTRATE, VARANASI, UTTAR PRADESH, IN COMPLIANCE OF ORDER DATED 26.11.2025 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL</u>

I, Satyendra Kumar, aged about 38 years, S/o Shri Radhe Raman Jha, posted as District Magistrate, Varanasi, Uttar Pradesh do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter, am fully conversant with the facts of the case and am competent and authorized to swear the present reply.

2. That I state that the contents of this reply have been drafted by my counsel on my instructions, and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

S. No. 96 DATE 15/12/26 NOTARY INDIA

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

BACKGROUND OF THE MATTER

3. In the present Original Application, the applicant has raised grievance that her son had died on account of slitting of his throat by Chinese Manjha on 31.12.2024. Applicant has further alleged that the State authorities failed to effectively enforce the complete ban on the manufacture, sale, and use of Chinese/Nylon Manjha imposed by the Hon'ble National Green Tribunal in O.A. No. 384/2016, *Khalid Ashraf & Anr. vs. Union of India & Ors.*, vide order dated 11.07.2017.

4. That, the Hon'ble Tribunal vide order dated 26.11.2025 issued the following directions:

   "...5. The Respondents No. 2 to 5 have not disclosed the steps which have been taken for payment of compensation to the Applicant.

   6. Learned Counsel appearing for these Respondents seeks four weeks' time to file the affidavit disclosing the status of payment of compensation.

   7. List on 18.02.2026..."

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt. Varanasi, UP Regd. No.-13472/2017 GOVT. OF INDIA

REPLY IS AS FOLLOWS

5. That, In compliance of the directions of the Hon'ble Tribunal, the Deponent, vide Letter No. **1292/Kshatipurti/2025-26** dated **14.02.2026**, addressed to the **Secretary, District Legal Services Authority, District Court, Varanasi,**

forwarded the matter for consideration of compensation to **Smt. Shyamalata**, mother and dependent of late **Shri Vivek Sharma**, who died in an accident involving Chinese/synthetic manjha, under the provisions of **Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme**, as notified/amended by the Government of Uttar Pradesh, Home (Police) Section-9, vide **Notification No. 210/Chha-Pu-15-2016 dated 07.06.2016**.

Copies of letter dated 14.02.2026 and notification dated 07.06.2016 are annexed herewith and marked as ***Annexure-1*** and ***Annexure-2*** respectively.

6. That, an Affidavit dated **20.11.2025** has been filed on behalf of the Commissioner of Police, Varanasi (***kindly refer to judicial pages 205–266***) before this Hon'ble Tribunal, wherein it has been disclosed that, within **Police Commissionerate Varanasi**, since **January 2025**, a total of **24 FIRs** have been registered, **16,235 kg** of prohibited manjha has been recovered, and **31 accused persons** have been arrested in connection with the **sale and storage of Chinese/synthetic manjha.**

7. That the deponent, in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal, is filing the present affidavit and remains duty-bound to ensure compliance with the directions in their true letter and spirit.

Hence, this brief reply is respectfully submitted for kind perusal of this Hon'ble Tribunal.

NOTARY S. PATHAK Advocate Distt-Varanasi, UP Regd. No. 13473/2017 GOVT. OF INDIA

9. That everything stated above is true and correct to my knowledge, derived from official records, and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Varanasi on this 15 day of February 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to __ are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY
S. PATHAK
Advocate
Distt-Varanasi, UP
Regd. No.-13472/2017
GOVT. OF INDIA

Sworn Before Me & Solemnly Affirm Signature and Contents Verified Today. 15/2/26

S. PATHAK Advocate
NOTARY GOVT. OF INDIA
Varanasi
Reg. No. 13472/2017

कार्यालय जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट, वाराणसी

पत्रांक : 1292/क्षतिपूर्ति/2025–26 दिनांक : 15 फरवरी, 2026

सेवा में

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
जिला न्यायालय वाराणसी।

विषय–**स्वर्गीय श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा निवासी ए 38/42 सी1ए, कोनिया, वाराणसी को उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना–2014 यथा संशोधन दिनांक 07.06.2016 के अंतर्गत पीड़ित को क्षतिपूर्ति दिलाये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के संदर्भ में अवगत कराना है कि जनपद वाराणसी के निवासी श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा निवासी ए 38/42 सी1ए, कोनिया, वाराणसी दिनांक 31.12.2024 को अपनी मां श्रीमती श्यामलता के साथ बाइक पर चौकाघाट–लहरतारा फ्लाईओवर की ओर जा रहे थे। उक्त दौरान चौकाघाट ओवरब्रिज पर चढ़ने के पश्चात चाइनीज मांझे की चपेट में आने से उनकी गर्दन पर अत्यंत गंभीर चोट आई। उपचार के दौरान घायल व्यक्ति श्री विवेक शर्मा की मृत्यु हो गई, जिसके संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) संख्या 0002, दिनांक 07.01.2025 पुलिस थाना–चेतगंज, काशी जोन, कमिश्नरेट, वाराणसी में दाखिल करते हुए दोषियों के विरुद्ध पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की 15, 5 एवं भारतीय न्याय संहित (बी.एन.एस.) 2023 की 105, 110 एवं 285 धाराएं आरोपित की गई है (छायाप्रति संलग्न)।

स्वर्गीय श्री विवेक शर्मा पुत्र श्री राजेश कुमार शर्मा निवासी ए 38/42 सी1ए, कोनिया, वाराणसी को compensation दिलाये जाने हेतु श्रीमती श्यामलता द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष Original Application No. 179/2025, titled "Shyamlata vs Union of India & Ors. दाखिल की गई है, जिसके अनुसार स्वर्गीय श्री विवेक शर्मा घर मे कमाने वाले एकलौते सदस्य थे, जिसके सम्बन्ध में स्वप्रमाणित लिखित बयान भी दिया गया है।

अतः उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग–9, लखनऊ की अधिसूचना संख्या 210/छः–पु0–15–2016 दिनांक 7 जून 2016 के प्राविधानों के अनुसार उ0प्र0 पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना के अंतर्गत श्री विवेक शर्मा की मृत्यु के दृष्टिगत श्री विवेक शर्मा की माता श्रीमती श्यामलता आधार नं0 748496547141, निवासी ए 38/42 सी1ए, कोनिया, वाराणसी को पीड़ित क्षतिपूर्ति प्रदान किये जाने हेतु प्रकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नकः–FIR, Chargsheet, आवेदन पत्र एवं आधार कार्ड की छायाप्रति।

भवदीय,
(सत्येन्द्र कुमार)
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
वाराणसी।

पु0सृ0 एवं दिनांकः–यथोपरि।

प्रतिलिपिः– जिला न्यायाधीश, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वाराणसी को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

15/2/26
जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट
वाराणसी।
o/c

स्व: प्रमाणित लिखित बयान

मैं श्याम लता पत्नि राजेश शर्मा निवासी मकान नं0: A 38/42 C/A कोनियाँ वाराणसी निम्न लिखित बयान करती हूँ कि मेरे दो पुत्र अभिषेक शर्मा बड़ विवेक शर्मा छोटा पुत्र तथा पुत्री सोनम शर्मा है। मेरा बड़ा पुत्र अभिषेक शर्मा उम्र (30) वर्ष वह मानसिक रोग से पीडित है जिससे उसकी मानसिक स्थिति ठीक नही है। मेरी पुत्री सोनम शर्मा (19) वर्ष की है मेरे पुत्र विवेक शर्मा मृत्यु दिनांक 31-12-24 को चाइनीज मांझा से चौका घाट पर गर्दन कटने से हो गयी है। मेरे घर के कमाने वाले विवेक शर्मा ही ~~थी~~ थे। हमारे घर के कमाने वाले अन्य कोई व्यक्ति नही है। ना ही कोई आय का अन्य श्रोत है।

श्यामलता

A 38/42 C/A
कोनियाँ वाराणसी

श्याम लता

भारत सरकार

Government of India

श्यामलता

SHYAMLATA

जन्म तिथि / DOB : 11/10/1977

महिला / Female

[redacted]

आधार - आम आदमी का अधिकार

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण

Unique Identification Authority of India

आधार

पता:
W/O: राजेश कुमार शर्मा, ए 38/42 सी 1 ए, कोनिया, वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, 221001

Address:
W/O: Rajesh Kumar Sharma, A 38/42 C 1 A, KONIYA, VARANASI, Varanasi, Varanasi, Uttar Pradesh, 221001

[redacted]

1947
1800 300 1947

help@uidai.gov.in

WWW
www.uidai.gov.in

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 173 B.N.S.S)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 173 बी एन एस एस के तहत)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) **P.S. (थाना):** चेतगंज **Year (वर्ष):** 2025

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0002 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 07/01/2025 16:32 घंटे

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
2	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	110
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** हस्तक्षेप दिन **Date from (दिनांक से):** 29/12/2024 **Date To (दिनांक तक):** 31/12/2024

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 07/01/2025 **Time (समय):** 16:32 बजे

(c)

General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):	Entry No. (प्रविष्टि सं.): 043	Date and Time (दिनांक और समय): 07/01/2025 16:32 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): उत्तर - पश्चिम, 1.5 कि. मी. Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): चौकाघाट,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुजीत कुमार

(b) Father's Name (पिताका नाम): स्व0 हनुमान प्रसाद जायसवाल

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1998 (d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	**Address Type (पता का प्रकार)**	**Address (पता)**
1	वर्तमान पता	मवैया खुर्द , मुगलसराय, अली नगर, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	मवैया खुर्द , मुगलसराय, अली नगर, चंदौली, उत्तर प्रदेश, भारत

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9004901025

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या): 0

S. No. (क्र.सं.)	**Name (नाम)**	**Alias (उपनाम)**	**Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)**	**Present Address(वर्तमान पता)**
1	आजम		पिता का नाम : असलम	1. लल्लापुरा,सिगरा,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत
2	जितेन्द्र कुशवाहा		पिता का नाम : राधेश्याम कुशवाहा	1. चंदुआपुर,चित्तूपुर,सिगरा,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत
3	कुदन कुशवाहा		पिता का नाम : राधेश्याम कुशवाहा	1. चंदुआपुर,चित्तूपुर,सिगरा,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत
4	अज्ञात1			

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,श्रीमान थाना प्रभारी महोदय, थाना चेतगंज कमिबाराणसी। महोदय,सादर अवगत कराना है, कि मैं प्रार्थी सुजीत कुमार पुत्र स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जायसवाल निवासी मवैया खुर्द मुगलसराय चंदौली दिनांक 29/12/2024 को अपने घर से लहरतारा की ओर जा रहा था चौकाघाट ओवर ब्रिज पर चढ़ने के बाद लगभग डेढ़ सौ मीटर आगे रास्ते पर उड़ रही एक पतंग जो चीनी मांझे के द्वारा बांधकर उड़ाई जा रही थी उसी चाइनीस माझे में फंसकर मेरे गर्दन पर काफी गंभीर चोट आ गई माझे द्वारा मेरी गर्दन कट गई और गहरा घाव आ गया तथा खून बहने लगा मैं वहीं पर अपनी गाड़ी के साथ गिर पड़ा इसके बाद मुझे आसपास के उपस्थित लोगों द्वारा अस्पताल ले जाया गया जहां पर मेरा इलाज हुआ इस तरह चाइनीस मांझे के बारे में पता करने पर जानकारी मिली की आजम पुत्र असलम निवासी लल्लापुरा थाना सिगरा वा इसके अन्य साथी, और जितेंद्र कुशवाहा व कुंदन कुशवाहा पुत्रगण राधेश्याम कुशवाहा निवासी चंदुआपूर चित्तूपुर थाना सिगरा वाराणसी के द्वारा चाइनीस मांझा का विक्रय व भंडारण किया जा रहा है और इन्हीं के द्वारा चाइनीस मांझे का विक्रय वाराणसी में हो रहा है जिसकी चपेट में आकर कई लोग घायल हुए हैं तथा दिनांक 31/12/24 को इन्हीं के द्वारा बेचे गए चाइनीस मांझे की चपेट में आकर एक लड़के विवेक शर्मा की मृत्यु भी हो गई है महोदय इन लोगों को पहले पुलिस द्वारा पकड़ा भी गया था लेकिन यह लोग छूटने के बाद पुनः मांझे की बिक्री कर रहे हैं और आम जनमानस की जान के लिए खतरा बने हुए हैं महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त मांझा विक्रेताओं के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें। दिनांक : 07.01.2025 प्रार्थी हिन्दी हस्ताक्षऱ पठनीय सुजीत कुमार (सुजीत कुमार) 9004901025नोटः मुझ हे0का0 पुनीत कुमार सिंह द्वारा कायमी व तहरीर अक्षरशः बोल-बोल कर सीसीटीएनएस पर टाईप करायी गयी है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** SHUBHENDU DIKSHIT **Rank (पद):** उपनिरीक्षक/ अवर निरीक्षक

No. (सं.): 192765790 **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए): or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): DILIP KUMAR MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

No. (सं.): 092560068

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	पुरुष	1997		-		चेचक: नहीं
2	पुरुष	1995		-		चेचक: नहीं
3	पुरुष	2002		-		चेचक: नहीं
4				-		चेचक: नहीं

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/ Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)

N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-V (एकीकृत जाँच फार्म -V)

FINAL FORM/ REPORT
अंतिम फार्म/रिपोर्ट
(Under Section 193 B.N.S.S.)
(धारा **193** बी एन एस एस के अन्तर्गत)
IN THE COURT OF : ACJM 05 VNS (के न्यायालय में)

1. **District/Unit (जिला/इकाई):** काशी (कमिश्नरेट वाराणसी)
   P.S. (थाना): चेतगंज **Year(वर्ष):** 2025
   FIR No.(प्र.सू.रि.सं.):0002 **Date(दिनाँक):** 07/01/2025
2. **Final Report / Charge Sheet No.(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र संख्या.):** 01
3. **Date(दिनाँक):** 30/03/2025
4.

S.No.	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	105
3	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस),	109(1)

5. **Type of Final Form/Report (अंतिम फार्म/रिपोर्ट का प्रकार):** आरोप पत्र
6. **If FR Unoccurred (यदि अंतिम रिपोर्ट अघटित):**
7. **If Charge sheet (यदि आरोप पत्र दाखिल किया):** मूल

8. **Name of I.O. at the time of charge sheet (आरोप पत्र दाखिल करते समय जाँच अधिकारी का नाम):** SHUBHENDU DIKSHIT

Rank (पद): SI (Sub-Inspector) **No. (सं.):**192765790

9. **(a) (क) Name of complainant / informant (शिकायतकर्ता/इत्तिला देने वाले का नाम):**
सुजीत कुमार

(b)(ख) Father 's Name (पिता का नाम) : स्व0 हनुमान प्रसाद जायसवाल

10. **Details of Properties/Articles/Documents recovered/seized during investigation and relied upon:**
(जाँच के दौरान बरामद/जब्त सम्पत्ति/वस्तु/दस्तावेज का विवरण जिन्हें आधार बनाया गया हो):

S. No	Property Description	Estimated Value (in Rs.)	Police Station Property Register No.	From whom/ where revered or seized	Disposal
(क्रं. सं.)	(सम्पत्ति का विवरण)	(अनुमानित मूल्य (रु.में))	(थाना सम्पत्ति रजिस्टर सं.)	(कहाँ/किससे जब्त अथवा बरामद की गई)	(निराकरण)

11. **Particulars of accused persons charge-sheeted(आरोप पत्र दाखिल अभियुक्तों का विवरण):**

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i)Name आजम

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii)Father's Name(पिता का नाम): असलम

(iii)Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1997

(iv)Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi)Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग): अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	सी 14/98 ए-1 लल्लापुरा , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सी 14/98 ए-1 लल्लापुरा , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known)
नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 07/01/2025

(xiii) Date of release on bail
(जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court
(न्यायालय को भेजने की तिथि): 30/03/2025

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
3	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	109(1)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 2

(i) Name जितेन्द्र कुशवाहा

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): राधेश्याम कुशवाहा

(iii)Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 1994

(iv)Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi)Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) **Religion (धर्म):**

(viii) **Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग):** अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

(ix) **Occupation(व्यवसाय):**

(x) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	सी 33/204-21 क छित्तूपुरा , हरिनगर कालोनी , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सी 33/204-21 क छित्तूपुरा , हरिनगर कालोनी , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known) नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) **Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि):** 07/01/2025

(xiii) **Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि):**

(xiv) **Date on which forwarded to court (न्यायालय को भेजने की तिथि):** 30/03/2025

(xv) **Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):**

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
3	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	109(1)

(xvi) **Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):**

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

S. No.(क्रं.सं.): 3

(i) Name कुन्दन कुशवाहा

Whether verified(क्या सत्यापित है?): हाँ

(ii) Father's Name(पिता का नाम): राधेश्याम कुशवाहा

(iii)Date/ Year of birth (जन्मतिथि/वर्ष): 2002

(iv) Sex(लिंग): पुरुष

(v) Nationality(राष्ट्रियता): भारत

(vi) Passport No.(पासपोर्ट संख्या):

Date of Issue(जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु.जन जाति/अन्य पिछड़े वर्ग): अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)

(ix) Occupation(व्यवसाय):

(x) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	सी 33/204-21 क छित्तूपुरा , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत
2	स्थायी पता	सी 33/204-21 क छित्तूपुरा , सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश, भारत

Whether verified (क्या सत्यापित हैं?): हाँ

Regular Criminal No. (if known) नियमित अपराधी संख्या (यदि ज्ञात हो):

(xii) Date of arrest(गिरफ्तारी की तिथि): 07/01/2025

(xiii) Date of release on bail (जमानत पर रिहाई की तिथि):

(xiv) Date on which forwarded to court (न्यायालय को भेजने की तिथि): 30/03/2025

(xv) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

S.No. (क्र.सं.)	Acts(अधिनियम)	Sections(धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	285
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	105
3	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	5
4	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986	15
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	109(1)

(xvi) Details of bailers / sureties(जमानतियों का ब्यौरा):

Name (नाम):

Father's/Husband's Name

Occupation (व्यवसाय):

Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)

Identification (पहचान): Date of Birth (जन्मतिथि):

UID Number (यूआईडी सं.):

Any Other ID Proof (अन्य प्रमाण पत्र):

S.No.(क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान पत्र सं.)

(xvii) Previous convictions with case references (मामले के संदर्भ सहित,पहले हुई सज़ा का विवरण):

(xviii) Status of the accused (अभियुक्त की स्थिति): न्यायालय द्वारा जमानत

(xix) Brief details of crime related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का संक्षिप्त विवरण) :

(xx Crime evidence related with accused (अभियुक्त से सम्बन्धित अपराध का साक्ष्य):

12.Particulars of accused persons - not charge sheeted(suspect) (आरोप पत्र दाखिल न किए गए(संदिग्ध)अभियुक्तों का विवरण):

S. No.(क्रं.सं.): 1

(i) Name (नाम): अज्ञात1 **Whether verified (क्या सत्यापित है?):** नहीं

(ii) Father's/Husband's Name

(iii) Date/Year of birth(जन्मतिथि/वर्ष): 0

(iv) Sex (लिंग):

(v) Nationality (राष्ट्रीयता):

(vi) Passport No.(पासपोर्ट सं.):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue(जारी करने का स्थान):

(vii) Religion (धर्म):

(viii) Whether SC/ST/OBC (अनु.जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग):

(ix) Occupation

(x) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address(पता)
1	वर्तमान पता	
2	स्थायी पता	

Whether verified(क्या सत्यापित है?): नहीं

(xi) Suspicion approved (संदेह अनुमोदित): नहीं

(xii Status of the accused (suspect) (अभियुक्त (संदिग्ध) की स्थिति): गिरफ्तार नहीं

(xiii) Under Acts & Sections(अधिनियम एवं धाराएँ):

(xiv) Any Special remarks including reasons for not charge sheeting (आरोपपत्र दाखिल न करने के कारण सहित कोई विशेष अभ्युक्ति): घटना में किसी अज्ञात के संलिप्तता के कोई साक्ष्य नही पाये गये

13. Particulars of witnesses to be examined(पूछताछ किए जाने वाले गवाहों का विवरण):

S. No. (क्रं. सं.)	Name/ Mob No (नाम/ मो० नं०)	Father's/ Husband's name (पिता/पति का नाम)	Date/ Year of birth (जन्म तिथि /वर्ष)	Occupation (व्यवसाय)	Address (पता)	Type of evidence to be tendered (प्रस्तुत किए जाने वाले साक्ष्य का प्रकार)
1	सुजीत कुमार / 9004901025	पिता: हनुमान प्रसाद जायसवाल			वर्तमान पता: मवैया खुर्द मुगलसरायं अली नगर ,अली नगर,चंदौली,उत्तर प्रदेश,भारत	प्राथमिकी साक्ष्य

					स्थायी पता: मवैया खुर्द मुगलसरायं अली नगर ,अली नगर,चंदौली,उत्तर प्रदेश,भारत	
2	हे0का0 पुनीत कुमार सिंह / 9140901856	:			वर्तमान पता: थाना चेतगंज , चेतगंज,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना चेतगंज , चेतगंज,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
3	डा0 ए0के0 मणि / 8004643609	:			वर्तमान पता: मण्डलीय चिकित्सालय वाराणसी ,श्री शिव प्रसाद गुप्ता जिला ,कोतवाली, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: मण्डलीय चिकित्सालय वाराणसी ,श्री शिव प्रसाद गुप्ता जिला ,कोतवाली, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत	विशेषज्ञ साक्ष्य
4	हे0का0 सुनील कुमार भारती / 1000000000	:			वर्तमान पता: थाना सिगरा , सिगरा,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना सिगरा , सिगरा,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	प्राथमिकी साक्ष्य
5	श्यामलता / 7985223505	पत्नी: राजेश शर्मा			वर्तमान पता: ए 38/42 सी 1 ए कोनिया धोबीघाट ,आदमपुर, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ए 38/42 सी 1 ए कोनिया धोबीघाट ,आदमपुर, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य
6	सोनम / 7985223505	पिता: राजेश शर्मा			वर्तमान पता: ए 38/42सी1ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ए 38/42सी1ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	चक्षुदर्शी साक्ष्य

7	राजेश शर्मा / 7985223505	पिता: भगवान दास			वर्तमान पता: ए38/42सी1ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ए38/42सी1ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	समर्थन साक्षी
8	रमेश कुमार / 8604208889	पिता: भगवान दास			वर्तमान पता: ए 38/42 सी 1 ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: ए 38/42 सी 1 ए कोनिया ,आदमपुर,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
9	सैफ अली निजाम / 7668149297	पिता: निजामुद्दीन			वर्तमान पता: सी 15/369 माताकुण्ड लल्लापुरा ,सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: सी 15/369 माताकुण्ड लल्लापुरा ,सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
10	सैफ अली / 7071195617	पिता: सिकन्दर			वर्तमान पता: सी 15/59 लल्लापुरा माताकुण्ड ,सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: सी 15/59 लल्लापुरा माताकुण्ड ,सिगरा, काशी (कमिश्नरेट वाराणसी), उत्तर प्रदेश,भारत	औपचारिक गवाह
11	उ0नि0 शुभेन्दु दीक्षित / 7607076878	:			वर्तमान पता: थाना चेतगंज , चेतगंज,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत स्थायी पता: थाना चेतगंज , चेतगंज,काशी (कमिश्नरेट वाराणसी),उत्तर प्रदेश,भारत	अनुसंधान साक्षी

14. If FR is false (F.R. false), indicate action taken or proposed to be taken u/s 182/211 I.P.C / 217/248 B.N.S :

(यदि अन्तिम रिपोर्ट झूठी है तो भा.द.सं. की धारा 182/211 / 217/248 बी एन एस के अन्तर्गत की गई अथवा प्रस्तावित कार्रवाई का विवरण):

15.Result of Laboratory analysis (प्रयोगशाला में किए गए विश्लेषण का परिणाम):

16. Brief facts of the case (मामले से संबंधित संक्षिप्त तथ्य):

श्रीमान जी निवेदन है कि वादी मुकदमा सुजीत कुमार पुत्र स्व0 हनुमान प्रसाद जायसवाल निवासी मवैयाखुर्द मुगलसराय थाना अलीनगर जनपद चन्दौली द्वारा दिनांक 07/01/2025 को थाना स्थानीय पर दाखिला तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 02/25 धारा 285, 110, 105 बीएनएस व 5/15 पर्या0सं0 अधि0 का बनाम आजम पुत्र असलम निवासी लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी व जितेन्द्र कुशवाहा व कुन्दन कुशवाहा पुत्रगण राधेश्याम कुशवाहा निवासी चंदुवा छित्तूपुर थाना सिगरा कमि0 वाराणसी के पंजीकृत होकर विवेचना मुझ उ0नि0 को प्राप्त हुई। विवेचना के क्रम में वयान वादी बयान गवाहान निरीक्षण घटनास्थल तथा तमामी साक्ष्य संकलन के आधार पर जुर्म धारा 110 बीएनएस का लोप करते हुए धारा 109(1) बीएनएस की बढोत्तरी कर विवेचनात्मक कार्यवाही के क्रम में धारा 285,109(1), 105 बीएनएस व 5/15 पर्या0सं0अधि0 1986 के अपराध का होना पाया गया। अभियुक्त गण 1.आजम पुत्र असलम निवासी सी 14/98 ए1 लल्लापुरा थाना सिगरा वाराणसी उम्र 28 वर्ष 2. जितेन्द्र कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी 33/204 21क चंदुवा छित्तूपुर हरिनगर कालोनी थाना सिगरा कमि0 वाराणसी उम्र 31 वर्ष 3. कुन्दन कुशवाहा पुत्र राधेश्याम कुशवाहा निवासी सी 33/204 21क चंदुवा छित्तूपुर हरिनगर कालोनी थाना सिगरा कमि0 वाराणसी उम्र 23 वर्ष के विरुद्ध जुर्म धारा285,109(1), 105 बीएनएस व 5/15 पर्या0सं0अधि0 1986 साबित हो रहा है जिसका चलान जरिए आरोप पत्र मा0 न्यायालय किया जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति के बारे में नाम पता प्रकाश में ना आने के कारण उसकी नामजदगी गलत की गई है जिसका तस्करा थाना स्थानीय के रो0आम 073 दिनांक 29/03/2025 में अंकित है। अब इस अभियोग मे कोई कार्यवाही शेष नहीं है विवेचना जरिए आरोप पत्र समाप्त की जा रही है। श्रीमान जी से निवेदन है कि सबूत तलब कर गुण दोष के आधार पर मुकदमें का निस्तारण करने की कृपा करे।

17.Refer Notice served हाँ **Date(दिनाँक):**
(जारी किए नोटिस):
(Acknowledgement to be placed)(पावती नत्थी करें):

18.Despatched on(प्रेषण की तिथि): 30/03/2025

19.No. of enclosures(संलग्नको की संख्या):

20.List of enclosures : As annexed (संलग्नको की सूची):

21. Name and address of the accused, who have not been challaned, whether caught or not: (नाम और पता अभियुक्त , जो चालान नहीं किये गए हैं|चाहे पकडे गए हो या नहीं पकडे गए हों):

21क.Suspected accused name, address and age / संदिग्ध अभियुक्त का नाम , पता और आयु :

21ख.The absconding accused name, address and age / फरार अभियुक्त का नाम ,पता और आयु :

22. Names and addresses of the accused, who have been challaned (अभियुक्तों के नाम पते जिनका चालन किया गया हो) :

22क.Name, address and age of the accused on bail (जमानत या जाती मुचलके पर अभियुक्त का नाम,पता और आयु) :

22ख.Mafarur accused name, address and age /मफरुरअभियुक्त का नाम , पता और आयु :

23.Case property (including weapons) with details of where and when they were recovered and the details of recovering officer and also whether they were sent to the magistrate or not.(माल (हथियार सहित) जो पाये गये हो इस विवरण के साथ कि कहाँ और कब पकड़ा गया और किसने पकड़ा और वह मजिस्ट्रेट के पास भेजा गया या नहीं।) :

24. Result of trial (मुकदमे का परिणाम) :

25. Complete Punishment (पूर्ण सजाएँ) :

25क.Date (दिनांक) :

25ख.Place (स्थान) :

25ग.Punishment (सज़ा) :

Forwarded by Officer in charge
(प्रभारी अधिकारी द्वारा अग्रेषित)

Name (नाम): DILIP KUMAR MISHRA

Rank (पद): I (Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 092560068

Signature of Investigating Officer submitting final report/charge sheet
(अंतिम रिपोर्ट/आरोप पत्र दायर करने वाले जाँच अधिकारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): SHUBHENDU DIKSHIT

Rank (पद): SI (Sub-Inspector)

PNO/CUG No.
पीएनओ/सीयूजी सं: 192765790

फ्क्स/इ-मल/महत्वपूर्ण

संख्या-210 /छ:-पु0-15-2016

प्रेषक,

कमल सक्सेना,
सचिव,
उ0प्र0शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

गृह (पुलिस)अनुभाग-15 दिनॉक 14 जून, 2016

विषयः-उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 में हुये संशोधन दिनांक 07.06.2016 के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि रिट पिटिशन (क्रिमिनल) संख्या-129/2006 लक्ष्मी बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में मा0उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 11.02.2011 के अनुपालन में साधारण खण्ड अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-10 सन् 1897) की धारा-21 के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (अधिनियम संख्या-2 सन् 1974) की धारा-357क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 दिनांक 09.04.2014 में संशोधन करते हुए दिनांक 07.06.2016 द्वारा निम्नलिखित श्रेणियों में अपराध से पीड़ित व्यक्ति को निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था हैः-

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1	बलात्कार	रू0-3,00,000/-
2	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति (भा0द0वि0 की धारा-325,326,333,394,429,435 एवं 436)	रू0-1,00,000/-
3	संक्षारक पदार्थ अर्थात तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रू0-5,00,000/-
4	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रू0-1,50,000/-
5	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रू0-2,00,000/-
6	मानव तस्करी से पीड़ित	रू0-2,00,000/-

7	लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा-4,6,7,9,11 और 14 के अधीन अपराध	
	(क) प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा-4)	रू0-2,00,000/-
	(ख) गुरूत्तर प्रवेशन लैगिक हमला (धारा-6)	रू0-2,00,000/-
	(ग) लैंगिक हमला (धारा-7)	रू0-1,00,000/-
	(घ) गुरूत्तर लैगिक हमला (धारा-9)	रू0-1,50,000/-
	(ड.) लैगिक उत्पीड़न (धारा-11)	रू0-1,00,000/-
	(च) अश्लील प्रयोजनों के लिये बालक का उपयोग (धारा-14)	रू0-1,00,000/-
8	जलने पर शरीर का 25% से अधिक का प्रभावित होना (तेजाब हमला के मामलों के अतिरिक्त)	रू0-2,00,000/-
9	यौन उत्पीड़न (बलात्कार के अतिरिक्त)	रू0-50,000/-
10	गर्भ की क्षति	रू0-50,000/-
11	गर्भ धारण क्षमता की क्षति	रू0-1,50,000/-
12	पूर्ण विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	रू0-2,00,000/-
13	आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	रू0-1,00,000/-
14	क्रास बार्डर फाइरिंग से पीड़ित महिला- (अ) मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	रू0-2,00,000/-
	(ब) आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	रू0-1,00,000/-

2. पीड़ित/पीड़िता के पास इस अधिसूचना दिनांक 07.06.2016 के अन्तर्गत आर्थिक सहायता पाने के लिये विभिन्न व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि- ट्रॉयल कोर्ट/अपील कोर्ट द्वारा आर्थिक सहायता हेतु संबंधित प्रकरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी0एल0एस0ए0) को संदर्भित किया जाना अथवा पीड़ित/पीड़िता द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास जाना और स्वयं आवेदन करना।

यहां यह भी उल्लेख करना उचित होगा कि उपरोक्त श्रेणियों के प्रकरण जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने पर पीड़ित/पीड़िता को जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रिमिनल)/ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी/अभियोजन अधिकारी के माध्यम से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पास भेजकर आवेदन पत्र देने हेतु जो कार्यवाही की जानी है, वह आपके स्तर से ही अपेक्षित है।

जैसा कि आप अवगत ही हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डी0एल0एस0ए0) के अध्यक्ष जिले के जिला जज होते हैं और सीनियर जुडीशियल मजिस्ट्रेट उसके सचिव होते हैं। यह योजना पीड़ित/पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से बनाई गई है ताकि ट्रॉयल और फाइन्डिग्स समयावधि से बाधित न हों।

3. उक्त अनुसूची में उल्लिखित अपराधों से पीड़ित/पीड़िता को आर्थिक सहायता दिये जाने हेतु रू0-2,00,00,000/- (रूपया दो करोड़) की व्यवस्था न्याय विभाग के बजट में की गयी है, जिसका संचालन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जब किसी प्रकार का प्रकरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निर्णीत किया जायेगा, वह प्रक्रियानुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से निर्णीत धनराशि प्राप्त कर पीड़ित/पीड़िता के खाते में स्थानान्तरित करेगा।

4. वास्तविक रूप से उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 के अध्यावधिक संशोधन/अधिसूचना दिनांक 07.06.2016 का उद्देश्य आम आदमी को तत्काल लाभ मिलने हेतु यह आवश्यक है कि संशोधित अधिसूचना का प्रचार-प्रसार आपके नेतृत्व में स्थानीय समाचार पत्रों में किया जाय एवं आपके अधीन जिले के प्रशासनिक/पुलिस/न्यायिक/प्रोबेशन अधिकारियों के साथ होने वाली बैठकों में भी योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय।

5. जिले में अपराध समीक्षा बैठकों में इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाय कि जनपद में कुल कितने पीड़ितों द्वारा उपरोक्त अनुसूची के अन्तर्गत आर्थिक सहायता हेतु आवेदन किये हैं और कितने पीड़ितों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है।

6. जिला जज के साथ होने वाली जिला स्तरीय मानीटरिंग बैठक में भी जिलाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 यथा संशोधन दिनांक 07 जून, 2016 के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की जायेगी और प्राप्त सूचनाओं को क्रास चेक किया जायेगा, ताकि किसी अन्य योजना में दोहरा लाभ न प्राप्त हो सके।

7. यह भी अवगत कराना है कि अनुसूची में उल्लिखित अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों की आर्थिक सहायता हेतु प्रदेश में दो योजनायें संचालित हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग की अधिसूचना दिनांक 06.02.2015 द्वारा जारी उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली-2015 एवं गृह विभाग की अधिसूचना दिनांक 09.04.2014 द्वारा जारी उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 है। (संशोधन 2016)

8. उपर्युक्त दोनों योजनाओं में अन्तर यह है कि उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष नियमावली जारी होने की तिथि 06 फरवरी, 2015 से लागू है तथा इस योजना के अन्तर्गत केवल पीड़ित महिलाओं/लड़कियों को ही आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जबकि उ0प्र0पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 यथा संशोधन दिनांक 07 जून, 2016 पूर्वगामी तिथि से प्रभावी है तथा इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं/बालिकाओं/बच्चों तथा पुरूषों को भी आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार योजना लागू होने की तिथि से पूर्व की घटनाओं से पीड़ित व्यक्तियों को भी आर्थिक सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। अतः आपके द्वारा पीड़ित/पीड़िता को लाभ दिये जाने के संबंध में सम्यक् परीक्षण करा लिया जाय कि उसे उपुर्यक्त दोनों योजनाओं में से किस योजना के अन्तर्गत लाभ दिया जाना उचित होगा।

--4--

कृपया उपरोक्त योजनाओं में से उपयुक्त योजना के तहत पीड़ित/पीड़िता को तत्काल आर्थिक सहायता दिये जाने के संबंध में समयान्तर्गत कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्न-**उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना-2014 का संशोधन/अधिसूचना दिनांक 07 जून, 2016**

(यह uphome.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।)

भवदीय,

Kamal 14.6.2016
(कमल सक्सेना)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1 रजिस्ट्रार, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस अनुरोध के साथ कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त जिला शासकीय अधिवक्ता(क्रिमिनल) को सूचित करने का कष्ट करें।
3. प्रमुख सचिव, महिला कल्याण विभाग/समाज कल्याण विभाग/श्रम विभाग, उ0प्र0शासन।
4. सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
6. महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने स्तर से समस्त जिलास्तरीय अभियोजन अधिकारी को सूचित करने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

Kamal 14.6.2016
(कमल सक्सेना)
सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
Grih (Police) Anubhag- 9

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.-U.O.-26/VI-P-9-2016-G.I.204/2015-Police-15 dated: June 07, 2016.

NOTIFICATION

No.- U.O.-26/VI-P-9-2016-G.I.204/2015- Police-15
Lucknow: Dated: June 07, 2016.

In exercise of the powers under section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act no 2 of 1974), read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act no. 10 of 1897) the Governor in co-ordination with the Central Government, is pleased to make the following amendment in Government notification no-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010 dated April 09, 2014 regarding the Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme, 2014 as amended by Government notification no-1986/VI-P-9-2015-31(90)/2010 dated July 10, 2015 :

AMENDMENT

In the aforsaid notification for Schedule-1,the following Schedule shall be substituted, namely:-

SCHEDULE

Sl. No.	Description of loss or injury	Previous Maximum Limit of Compensation	Amended Maximum Limit of Compensation
1.	Rape	Rs. 2,00,000/-	Rs.3,00,000/-
2.	Loss or injury causing severe mental agony to the victim of the crime (IPC Sections 325,326,333,394,429, 435 and 436)	Rs.1,00,000/-	Rs.1,00,000/-
3.	Victim of corrosive substance i.e. acid attack etc.	Rs.3,00,000/-	Rs.5,00,000/-
4.	Death (Non-earning member)	Rs.1,50,000/-	Rs.1,50,000/-
5.	Death (Earning member)	Rs.2,00,000/-	Rs.2,00,000/-
6.	Victim of Human Trafficking	Rs.2,00,000/-	Rs.2,00,000/-

7.	**Offences under section 4,6,7,9,11 and 14 of the Protection of the Chidren from Sexual offences Act 2012:-**		
	(a) penetrative sexual assault (section-4),	Rs-2,00,000/-	Rs.2,00,000/-
	(b) aggravated penetrative sexual assault (section -6),	Rs-2,00,000/-	Rs.2,00,000/-
	(c) sexual assault (section-7),	Rs-1,00,000/-	Rs.1,00,000/-
	(d) aggravated sexual assault (section- 9),	Rs-1,50,000/-	Rs.1,50,000/-
	(e) sexual harrassment (section-11),	Rs-1,00,000/-	Rs.1,00,000/-
	(f) using child for pornographic purpose (section-14),	Rs-1,00,000/-	Rs.1,00,000/-
8.	Burns affecting greater than 25% of the body (excluding acid attack cases)-	--	Rs.2,00,000/-
9.	Sexual assault (excluding rape)	--	Rs.50,000/-
10.	Loss of foetus	--	Rs.50,000/-
11.	Loss of fertility	--	Rs.1,50,000/-
12.	Permanent Disability (80% or more)	--	Rs.2,00,000/-
13.	Partial Disability (40% to 80%)	--	Rs.1,00,000/-
14.	Women victims of cross border firing:- (a) death or permanent disability (80% or more)	--	Rs.2,00,000/-
	(b) partial disability (40% to 80%)	--	Rs.1,00,000/-

By Order

Mani Prasad Mishra
Sachiv.

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग–9
संख्या–यू0ओ0–26 / छः–पु0–9–16–जीआई–204 / 15,पुलिस–15
लखनऊः दिनांकः 07 जून,2016

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या–10, सन् 1897) की धारा–21 के साथ पठित दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या–2, सन् 1974) की धारा 357–क के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचना संख्या–1986 / छः– पु0–9–2015–31(90) / 2010, दिनांक 10 जुलाई, 2015 द्वारा यथासंशोधित उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 से संबंधित सरकारी अधिसूचना संख्या–653 / छः–पु0–9 –2014–31(90) / 2010, दिनांक 09 अप्रैल,2014 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, अनुसूची–1 के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रख दी जायेगी, अर्थात्:–

अनुसूची

क0 सं0	हानि या क्षति का विवरण	पूर्व में क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा	संशोधित क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1.	बलात्कार	रू0 2,00,000 / –	रू0 3,00,000 / –
2.	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति (भा0द0सं0 की धारा–325, 326, 333, 394, 429, 435 एवं 436)	रू0 1,00,000 / –	रू0 1,00,000 / –
3.	संक्षारक पदार्थ अर्थात् तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रू0 3,00,000 / –	रू0 5,00,000 / –
4.	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रू0 1,50,000 / –	रू0 1,50,000 / –
5.	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रू0 2,00,000 / –	रू0 2,00,000 / –
6.	मानव तस्करी से पीड़ित	रू0 2,00,000 / –	रू0 2,00,000 / –
7.	**लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 की धारा–4, 6, 7, 9, 11 और 14 के अधीन अपराध**		
	(क)प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–4)	रू0 2,00,000 / –	रू0 2,00,000 / –
	(ख)गुरूत्तर प्रवेशन लैंगिक हमला (धारा–6)	रू0 2,00,000 / –	रू0 2,00,000 / –
	(ग)लैंगिक हमला (धारा–7)	रू0 1,00,000 / –	रू0 1,00,000 / –
	(घ)गुरूत्तर लैंगिक हमला (धारा–9)	रू0 1,50,000 / –	रू0 1,50,000 / –
	(ड.)यौन उत्पीड़न (धारा–11)	रू0 1,00,000 / –	रू0 1,00,000 / –
	(च)अश्लील प्रयोजनों के लिए बालक का उपयोग (धारा–14)	रू0 1,00,000 / –	रू0 1,00,000 / –
8.	जलने से शरीर का 25% से अधिक का प्रभावित होना (तेजाब हमला के मामलों के	–	रू0 2,00,000 / –

	अतिरिक्त)		
9.	यौन उत्पीड़न (बलात्कार के अतिरिक्त)	—	रू0 50,000/—
10.	गर्भ की क्षति	—	रू0 50,000/—
11.	गर्भ धारण क्षमता की क्षति	—	रू0 1,50,000/—
12..	पूर्ण विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	—	रू0 2,00,000/—
13.	आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	—	रू0 1,00,000/—
14.	कास बार्डर फाइरिंग से पीड़ित महिला— (अ) मृत्यु अथवा स्थायी विकलांगता (80 प्रतिशत या अधिक)	—	रू0 2,00,000/—
	(ब) आंशिक विकलांगता (40 प्रतिशत से 80 प्रतिशत)	—	रू0 1,00,000/—

आज्ञा से

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग–9

संख्या–यू0ओ0–26 / छः–पु0–9–16–जीआईई–204 / 15,पुलिस–15

लखनऊः दिनांकः 07 जून,2016

उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 में संशोधन की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

(1) रजिस्ट्रार, मा0 उच्च न्यायालय,इलाहाबाद / लखनऊ।

(2) सदस्य सचिव, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(4) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

(5) समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।

(6) पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(7) महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(8) समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उप महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(9) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

(10) समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

(11) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को अधिसूचना की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति जन साधारण के सूचनार्थ समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु।

(12) निदेशक, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।

(13) **प्रभारी, गृह नियंत्रण कक्ष को गृह विभाग की वेबसाइट (uphome.gov.in) पर निर्गमन हेतु।**

(14) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मणि प्रसाद मिश्र
सचिव।

क्रम सं०---88 (ङ-2)

रजिस्ट्रेशन नम्बर--एस०एस०पी० / एल०--

डब्लू० / एन०पी०--91 / 2011--13

लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बुधवार, 9 अप्रैल, 2014

चैत्र 19, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

गृह (पुलिस) अनुभाग--9

संख्या 653 / छः--पु0--9--14--31(90)-2010

लखनऊ, 9 अप्रैल, 2014

अधिसूचना

प0आ0--119

दण्ड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1974) की धारा 357-क द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल केन्द्र सरकार से समन्वय करके एतद्द्वारा ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के कारण हानि या क्षति हुई है और पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति देने के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित योजना बनाते हैं अर्थात्--

उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना

1--यह योजना उत्तर प्रदेश पीड़ित क्षतिपूर्ति योजना, 2014 कही जायेगी। संक्षिप्त नाम,

2--जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस योजना में:-- परिभाषाएँ

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य दंड प्रकिया संहिता, 1973 (अधिनियम संख्या--2 सन् 1974) से है;

(ख) "अनुसूची" का तात्पर्य इस योजना से संलग्न अनुसूची से है;

(ग) "राज्य" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य से है;

(घ) "पीड़ित व्यक्ति" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो कि अपराध के परिणाम-स्वरूप क्षति या हानि से पीड़ित हो और पुनर्वास की आवश्यकता हो और इसमें पीड़ित के परिवारिक सदस्य भी सम्मिलित हैं;

(ङ) "जिला विधिक सेवा अधिकरण" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 9 के अधीन गठित जिला प्राधिकरण से है;

(च) "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" का तात्पर्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 6 के अधीन गठित राज्य प्राधिकरण से है;

पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि

3–(1) "पीड़ित क्षतिपूर्ति निधि" के नाम से निधि गठित की जायेगी जिससे ऐसे पीड़ितों या उनके आश्रितों, जिन्हें अपराध के कारण क्षति या हानि हुई है और पुनर्वास की आवश्यकता है, को क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(2) राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष इस योजना के प्रयोजनार्थ पृथक रूप से बजट आबंटित करेगी।

(3) निधि का संचालन सचिव, राज्य विधिक सेवा अधिकरण द्वारा किया जायेगा।

क्षतिपूर्ति के लिए पात्रता

4–पीड़ित क्षतिपूर्ति के लिए पात्र होगा यदि:–

(क) अपराधी का पता नहीं चलता है या उसकी शिनाख्त नहीं की जाती है, किन्तु पीड़ित की शिनाख्त हो जाती है, और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहाँ ऐसे पीड़ित या उसके आश्रित अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन क्षतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकते हैं;

(ख) पीड़ित/दावेदार ने घटना से 48 घण्टे के भीतर पुलिस स्टेशन के अधिकारी या प्रभारी, क्षेत्र के किसी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट की हो, परन्तु यह कि यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किए जायेंगे, संतुष्ट हो जाता है तो रिपोर्ट करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है;

(ग) पीड़ित/दावेदार ने मामले के अन्वेषण और विचारण के दौरान पुलिस तथा अभियोजन पक्ष को सहयोग दिया है।

क्षतिपूर्ति देने के लिए प्रक्रिया

5–(1) जब कभी न्यायालय द्वारा अधिनियम की धारा 357–क की उपधारा (2) के अधीन संस्तुति की जाती है या कोई आवेदन किसी पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामलें की जॉच करेगा और रिपोर्ट की गयी अपराधिक गतिविधि में पीड़ित को हुई हानि या क्षति के सम्बन्ध में दावे के विषय वस्तु को सत्यापित करेगा। दावे की वास्तविकता निर्धारित करने के लिए कोई अन्य आवश्यक सुसंगत सूचना मांग सकता है। दावों का सत्यापन करने और सम्यक् जॉच के उपरान्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के प्राविधानों के अनुसार अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन न्यायालय की संस्वीकृति की प्राप्ति या आवेदन-पत्र की प्राप्ति के दिनांक से दो मास के भीतर क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।

(2) इस योजना के अधीन क्षतिपूर्ति इस शर्त के अधीन भुगतान की जायेगी कि यदि विचारण न्यायालय पश्चातवर्ती तिथि को निर्णय देते समय दोषी व्यक्तियों को अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति की राशि के रूप में किसी राशि का भुगतान करने के लिए आदेश देता है, तो पीड़ित या दावेदार क्षतिपूर्ति की धनराशि के बराबर आदेशित धनराशि या उपधारा 3 के अधीन दी जाने वाली आदेशित धनराशि जो भी कम हो, विप्रेषित करेगा। पीड़ित व्यक्ति/दावेदार से इस आशय की अण्डरटेंकिंग निधि से धनराशि वितरित करने से पूर्व प्राप्त की जायेगी।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर पीड़ित या उसके आश्रित को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा, उपचार पर उपगत होने वाले चिकित्सा व्यय, अंत्येष्टि व्यय इत्यादि के रूप में ऐसे आकस्मिक प्रभार सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम आजीविका राशि का निर्णय करेगा। प्रत्येक प्रकरण में तथ्यों के आधार पर प्रकरणवार प्रत्येक पीड़ित के लिए क्षतिपूर्ति भिन्न–भिन्न हो सकती है।

(4) कतिपय मामलों में अपराध की अतिसंवेदनशीलता एवं पीड़ित व्यक्ति की विशेष आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष मामलों में जिला विधिक सेवा अधिकरण या राज्य विधिक सेवा अधिकरण, जैसी भी स्थिति हो, को अधिकार होगा कि रूपये 25 हजार तक, अधिकतम 1.00 लाख की सहायता उपलब्ध करा सकते हैं जैसे–

(क) जहां पीड़ित, नाबालिग लड़की हो और विशिष्ट उपचार व देखभाल की आवश्यकता हो।

(ख) जहां पीड़ित, मानसिक रूप से आहत हो और विशिष्ट उपचार व देखभाल की आवश्यकता हो।

(ग) किसी अन्य मामले में, जैसा संबंधित विधिक सेवा अधिकरण उचित समझे।

(5) पीड़ित या उसके आश्रितों को दिये जाने वाली क्षतिपूर्ति की मात्रा अनुसूची एक में वर्णित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(6) इस योजना के अधीन निर्णीत क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित या उसके आश्रितों, जैसी स्थिति हो, को निधि से वितरित की जायेगी। अन्तरिम या अन्तिम वित्तीय सहायता जैसे भी स्थिति हो, का भुगतान आवेदक के बैंक खाते में अधिमानतः एक सप्ताह के अन्दर की जायेगी। यदि पीड़ित व्यक्ति नाबालिग है तो धनराशि का भुगतान पीड़ित के माता--पिता या अभिभावक के खाते में क्षतिपूर्ति की धनराशि समुचित के सदुपयोग के बारे में संतुष्ट हो जाने पर संबंधित अधिकरण द्वारा की जायेगी।

(7) पीडित द्वारा प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में केन्द्र एवं राज्य से प्राप्त क्षतिपूर्ति अर्थात् बीमा अनुग्रह, किसी अन्य अधिनियम में प्राप्त या केन्द्र एवं राज्य द्वारा चलायी जा रही किसी अन्य योजना के अधीन प्राप्त भुगतान भी इस योजना के अधीन क्षतिपूर्ति राशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। यदि क्षतिपूर्ति की राशि पीड़ित द्वारा उपरोक्त वर्णित स्रोतों से प्राप्त भुगतान से अधिक है तो शेष राशि का भुगतान निधि से किया जायेगा।

(8) मोटर वेहिकल ऐक्ट,1988 (अधिनियम संख्या 59 सन् 1988) से आच्छादित मामले, जिनमें मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिबुनल द्वारा क्षतिपूर्ति प्रदान करने के आदेश दिये गये हैं, इस योजना से आच्छादित नहीं होंगे।

(9) राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यथास्थिति, पीड़ित की पीड़ा कम करने के लिये तुरन्त ही प्राथमिक चिकित्सा अथवा चिकित्सीय लाभ के लिये आदेश कर सकेगा जो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी से अनिम्न श्रेणी के पुलिस अधिकारी या सम्बन्धित क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाणपत्र पर मुफ्त उपलब्ध कराये जायेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अन्य ऐसे अन्तरिम अनुतोष दिये जाने के लिए ऐसे आदेश दे सकेंगे, जैसा समुचित प्राधिकारी उचित समझे।

पीड़ित व्यक्ति को सहायता के निर्धारण करने हेतु निर्देशक सिद्धान्त

6--क्षतिपूर्ति व पुनर्वास सेवायें प्रदान करने का निर्धारण करते समय पीड़ित की मूलभूत पुनर्वास आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अधिकरण निम्नलिखित तथ्यों द्वारा निर्देशित होगा:--

(क) पीड़ित व्यक्ति को आई चोटें, घाव के प्रकार व गम्भीरता तथा उसे होने वाले चिकित्सीय एवं मानसिक उपचार पर होने वाले व्यय।

(ख) पीड़ित की उम्र व आर्थिक स्थिति के कम में उसकी शैक्षिक व्यावसायिक प्रशिक्षण की आवश्यकताओं, जैसे भी स्थित हो।

(ग) पीड़ित को जहां गैर आर्थिक नुकसान, मानसिक या भावनात्मक आघात या अपमान का सामना करना पड़ा हो।

(घ) किसी वैकल्पिक आवास के प्राविधान करने के संबंध में होने वाला व्यय जहाँ पीडित अपराध घटित होने और प्राथमिकी दर्ज होने या अपराधिक वाद प्रारम्भ होने से भिन्न स्थान पर रहता हो।

अभिलेख पर रखे जाने वाले आदेश परिसीमा

7--इस योजना के अधीन पारित क्षतिपूर्ति आदेश की प्रति को विचारण न्यायालय के अभिलेख पर लाना आवश्यक होगा ताकि न्यायालय अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर सके।

परिसीमा

8--अधिनियम की धारा 357-क की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित या उसके आश्रित द्वारा अपराध की एक वर्ष की अवधि के बाद किये गये किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जायेगा :

परन्तु, यह कि यदि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अभिलिखित कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है तो वह दावा दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

अपील 9–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा क्षतिपूर्ति से इन्कार करने से व्यथित व्यक्ति 90 दिन के अन्दर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील दायर कर सकता है।

परन्तु यह कि यदि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का ऐसे कारणों से, जो लिखित रूप में अभिलिखित किये जायेंगे, अपील दायर करने में हुए विलम्ब को माफ कर सकता है।

एस0के0 रघुवंशी,
सचिव।

अनुसूची–1

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण	क्षतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
1	बलात्कार	रू0 2,00,000/–
2	मानसिक संताप के कारण हुई हानि या क्षति	रू0 1,00,000/–
3	संक्षारक पदार्थ अर्थात् तेजाब आदि हमले से पीड़ित	रू0 3,00,000/–
4	मृत्यु (गैर कमाने वाले सदस्य)	रू0 1,50,000/–
5	मृत्यु (कमाने वाले सदस्य)	रू0 2,00,000/–
6	मानव तस्करी से पीड़ित	रू0 2,00,000/–

आज्ञा से,
एस0के0 रघुवंशी,
सचिव।

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010 Dated April 9, 2014.

No.-653/VI-P-9-2014-31(90)/2010.

Lucknow, Dated April 09, 2014

In exercise of the powers conferred by section 357-A of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974), the Governor of Uttar Pradesh, in co-ordination with the Central Government, hereby frames the following scheme for providing funds for the purpose of compensation to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as a result of the crime and who require rehabilitation, namely :

THE UTTAR PRADESH VICTIM COMPENSATION SCHEME

Short title 1. This Scheme may be called the Uttar Pradesh Victim Compensation Scheme, 2014

Definitions 2. In this Scheme, unless the context otherwise requires,

(a) "Act" means the Code of Criminal Procedure. 1973 (Act No -2 of 1974);

(b) "Schedule" means the Schedule appended to this Scheme;

(c) "State" means the State of Uttar Pradesh;

(d) "Victim" means a person who himself has suffered loss or injury as a result of the crime and requires rehabilitation, and includes his dependent family members;

(*e*) "District Legal Services Authority" means the District Authority constituted under Section 9 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

(*f*) "State Legal Services Authority" means the State Authority constituted under section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987.

Victim Compensation Fund

3. (1) There shall be established a fund namely Victim Compensation Fund from which amount of compensation under this Scheme shall be paid to the victim or his dependents who have suffered loss or injury as result of the crime and who require rehabilitation.

(2) The State Government shall allot a separate budget for the purpose of the Scheme every year.

(3) The Fund shall be operated by the Secretary, State Legal Services Authority.

Eligibility for compensation

4. A victim shall be eligible for the grant of compensation if :

(*a*) the offender is not traced or identified, but the victim is identified and where no trial takes place; such victim may' also apply for grant of compensation under sub section (4) of section 357-A of the Act;

(*b*) the victim/claimant reports the crime to the officer-in-charge of the police station within 48 hours of the occurrence or any senior police officer or Executive Magistrate or Judicial Magistrate of the area provided that the District Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in reporting;

(*c*) the victim/claimant cooperates with the police and the prosecution during the investigation and trial of the case.

Procedure for grant of compensation

5. (1) Whenever a recommendation is made by the Court or an application is made by any victim or his dependent under sub section (2) of section 357-A of the Act to the District Legal Services Authority, the District Legal Services Authority shall examine the case and verify the contents of the claim with regard to the loss or injury caused to the victim and arising out of the reported criminal activity and may call for any other relevant information necessary in order to determine genuineness of the claim. After verifying the claim, the District Legal Services Authority shall, after due enquiry, award compensation within two months from the date of receipt of the recommendation of the court of the receipt of application under sub-section (4) of section 357-A of the Act in accordance with the provisions of this Scheme.

(2) Compensation under this Scheme shall be paid subject to the condition that if the trial court, while passing judgment at later date, orders the accused persons to pay any amount by way of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act, the victim/claimant shall remit an amount ordered equal to the amount of compensation or the amount ordered to be paid under the said sub-section (3) whichever is less. An undertaking to this effect shall be given by the victim/ claimant before the distribution of the compensation amount.

(3) The District Legal Services Authority shall decide the quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents on the basis of loss caused to the victim, medical expenses to be incurred on treatment, minimum sustenance amount required for rehabilitation including such incidental charges as funeral expenses etc. The compensation may vary from case to case depending on the facts of each case.

(4) Keeping in view the particular vulnerabilities and special needs of the affected person in certain cases, the District Legal Services Authority or the State Legal Services Authority, as the case may be, will have the power to provide additional assistance of Rs. 25,000/- subject to maximum of Rs. 1,00,000/-, in the cases where:

(*a*) The affected person is a minor girl requiring specialized treatment and care:

(*b*) The person is mentally challenged requiring specialized treatment and care;

(*c*) Any other case as may be deemed fit by the Legal Services Authority concerned.

(5) The quantum of compensation to be awarded to the victim or his dependents shall not exceed the maximum limit as per Schedule-I.

(6) The amount of compensation decided under the Scheme shall be disbursed to the victim or his dependents, as the case may be, from the Fund. The interim or final financial assistance, as the case may be, shall be remitted to the bank account of the applicant preferably within a week. In cases where the person affected is a minor, the amount shall be remitted to the bank account of his parent or guardian after the Authority concerned is satisfied about the proper utilization of the amount of compensation.

(7) Compensation received by the victim from the State in relation to the crime in question, namely, insurance, *ex-gratia* and/or payment received under any other Act or State-run Scheme, shall be considered as part of the compensation amount under this Scheme and if the due compensation amount exceeds the payments received by the victim from collateral sources mentioned above, the balance amount shall be paid out of the Fund.

(8) The cases covered under the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) wherein compensation is to be awarded by the Motor Accident Claims Tribunal, shall not be covered under this Scheme.

(9) The District Legal Services Authority, to alleviate the suffering of the victim, may order for immediate first-aid facility or medical benefits to be made available free of cost on the certificate of the police officer not below the rank of the officer-in-charge of the police station or the Magistrate of the area concerned. The district Legal Services Authority may order for any other interim relief as it may deem fit.

Principles governing the determination of assistance to the affected person

6. While determining the compensation and rehabilitation services to be provided on the basis of the restorative needs of the affected person, the Authority shall be guided by the following factors:

(*a*) Type and severity of the bodily injury suffered by the affected person and expenditure incurred or likely to be incurred on victim's medical treatment and psychological counseling.

(*b*) Age and financial condition of the affected person so as to determine the need for his education or professional or vocational training, as the case may be.

(*c*) Non-pecuniary loss entailing suffering, mental or emotional trauma or humiliation faced.

(*d*) Expenses incurred in connection with provision of any alternate accommodation in cases where the affected person resides in a place other than where the offence was committed and the FIR has been recorded and/or criminal trial initiated.

Order to be placed on record

7. Copy of the order of compensation passed under this Scheme shall be mandatorily placed on record of the trial court to enable the court to pass order of compensation under sub-section (3) of section 357 of the Act.

Limitation

8. No claim made by the victim or his dependents under sub-section (4) of section 357-A of the Act shall be entertained after a period of six months o. the crime:

Provided that the District Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing any claim.

9. Any victim aggrieved of the denial of compensation by the District Legal Services Authority may file an appeal before the State Legal Services Authority within a period of ninety days : Appeal

Provided that the State Legal Services Authority, if satisfied for the reasons to be recorded in writing, may condone the delay in filing the appeal.

S.K. RAGHUVANSHI,
Sachiv.

Schedule - 1

	Particulars of loss or injury	Maximum limit of compensation
1	Rape	Rs. 2,00,000/-
2	Loss or injury causing severe mental agony to the victim of the crime	Rs. 1,00,000/-
3	Victim of corrosive substance *i.e.* acid attack etc.	Rs. 3,00000/-
4	Death (Non-earning member)	Rs. 1,50,000/-
5	Death (Earning member)	Rs. 2,00,000/-
6	Victim of Human Trafficking	Rs. 2,00,000/-

By order,
S.K. RAGHUVANSHI,
Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 42 राजपत्र (हि०)–2014–(154)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 3 सा० गृह–2014–(155)–5000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी/आफसेट)।